

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/204

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 97/2023 (अनवर वगै0 बनाम फारुक वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.05.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/1064 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम पाण्डासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 590/333 रकबा 0.3250 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म	लगा न
1	सुगरा पत्नी अब्दुल रजाक हि0 1/2 फारुक पुत्र अब्दुल रजाक हि0 1/2 जाति तेली सा मलसीसर खातेदार	590/333मी	0.13	बा.1	0.52
2	अनवर पुत्र अब्दुल रजाक जाति तेली सा. मलसीसर खातेदार	590/333मी	0.065	बा.1	0.26
3	असगर पुत्र अब्दुल रजाक जाति तेली सा. मलसीसर खातेदार	590/333मी	0.065	बा.1	0.26
4	रुस्तम पुत्र अब्दुल रजाक जाति तेली सा. मलसीसर खातेदार	590/333मी	0.065	बा.1	0.26

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.12.2024 को जारी की गई।



५१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर